रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 252] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 23, 2015/वैशाख 3, 1937
No. 252] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 23, 2015/VAISAKHA 3, 1937

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2015

सा.का.नि. 311(अ).—आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) 2 जून, 2014 के प्रभाव से अर्थात् केंद्रीय सरकार द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार में अधिसूचना सं. का.आ. 655(अ) तारीख 4 मार्च, 2014 अधिसूचित नियत दिन से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के नए राज्यों को बनाए जाने का उपबंध करता है ;

और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 3 को 29 मई, 2014 के प्रभाव से गोदावरी नदी पर कोलावरम बहुउद्देश्यीय राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापना को कार्यान्वित करने के लिए क्षेत्रों की पहचान करने में नमनीयता के उद्देश्य के साथ-साथ इस प्रकार अंतरित क्षेत्रों में प्रशासनिक सुविधा को बनाए रखने का सुनिश्चय करने के लिए आंध्र प्रदेश के उत्तरवर्ती राज्य को अतिरिक्त क्षेत्रों का उपबंध करने के लिए संशोधित किया गया था ;

और कुकुनूर, वेल्यरपाडु और भूर्गामापाडु के संपूर्ण मंडल किंतु इसमें उसके पीनापाका, मोरामपल्ली बंजार, भूर्गामपाड, नागीनेनीपरोलु, किसनसागर, टेकुला, सरापाका, इरेवेन्डी, मोथेपट्टीनगर, उपुसाका, सोमपल्ली, के राजस्व ग्राम और पलवंचा राजस्व प्रभाग का नकरी पेट्टा शामिल नहीं है तथा चित्तूर, कुनावरम्, वारामछिन्द्रापुरम और भद्राचलम किंतु भद्राचलम राजस्व प्रभाग के अधीन भद्राचलम राजस्व ग्राम शामिल नहीं है, को आंध्र प्रदेश के उत्तरवर्ती राज्य को अंतरित किया गया था ;

और आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश जिला (विरचना) अधिनियम, 1974 की धारा 3 के अधीन अधिसूचना जारी की और अंतरित क्षेत्रों को पश्चिम गोदावरी और पूर्वी गोदावरी के जिलों में सम्मिलित कर लिया गया ;

और दो जिलों में अंतरित क्षेत्रों को सम्मिलित करने के कारण अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के उपबंधों को प्रभावी करने में तेलंगाना राज्य के खम्माम जिले से आंध्र प्रदेश राज्य को, जैसा कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में अंतर्विष्ट है, इस प्रकार अंतरित क्षेत्रों के सभा निर्वाचन क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करने की सीमा तक कठिनाई उत्पन्न हुई है ;

अत: अब राष्ट्रपति, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) की धारा 108 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :--

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2015 है ।

(2) ये तुरत लागू होगा ।

2. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की दूसरी अनुसूची में,--

(क) पैरा 3 में "अनुसूची 3" शीर्ष के अधीन "आंध्र प्रदेश" उपशीर्ष के अधीन "सारणी क" में सभा निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित,--

(i) क्रम सं. 53 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

क्रम संख्यांक और नाम	सभा निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार
"53 रामपचोदारम (अ.ज.जा.)	मारेदुमिली, देवीपटनम, वाई. रामावरम, अद्दातीगाला, गंगावरम, रामपचोदावरम, राजावोममन्नी, कुनावरम, चिंतूर, वारामछन्द्रापुरम और नल्लीपाका मण्डल ।" ;

(ii) क्रम सं. 67 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

क्रम संख्यांक और नाम	सभा निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार
"67. पोलावरम (अ.ज.जा.)	पोलावरम, बुट्टायागुडेम, जेलुगुमिल्ली, कोययालगुडेम, टी.नरसापुरम, कुकुनूर और वेलेयरपाडु मण्डल ।" ;

(ख) पैरा 4 में "अनुसूची 27" शीर्ष के अधीन "तेलंगाना" उपशीर्ष के अधीन "सारणी क" में सभा निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित,--

IndiaCode

(i) क्रम सं. 110 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

क्रम संख्यांक और नाम	सभा निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार
"110. पिनापाका (अ.ज.जा.)	पिनापाका, मनुगुरू, गुन्डाला, आस्वापुरम मण्डल और भूर्गुमपाडु मंडल, जिसके अंतर्गत सीतारामानगरम, श्रीधारा वेलेयर, गुमपनापल्ली, गनापावरम, इब्राहिमपेट और रविगुडम (बड्डा) के राजस्व ग्राम शामिल नहीं है ।" ;

(ii) क्रम सं. 118 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

क्रम संख्यांक और नाम	सभा निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार
"118. असवारावपेटा (अ.ज.जा.)	मुलीकालापल्ले, चन्दरूगौण्डा, असवारावपेटा और दम्मापेटा मण्डल ।";

(iii) क्रम सं. 119 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

क्रम संख्यांक और नाम	सभा निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार
"119. भद्राचलम (अ.ज.जा.)	वाजीद, वेंकटपुरम, चेरला, इम्मुगुडेम मंडल और भद्राचलम राजस्व ग्राम ।";

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2015

(प्रणब मुखर्जी)

राष्ट्रपति

[फा. सं. 12012/06/2014-एस आर]

कुमार आलोक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 23rd April, 2015

G.S.R. 311(E).—Whereas the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 (6 of 2014) (hereinafter referred to as the said Act) provides for the formation of the new States of Andhra Pradesh and Telangana with effect from 2nd June, 2014, i.e., the appointed day notified by the Central Government in the Ministry of Home Affairs, Government of India *vide* notification number S.O. 655(E), dated the 4th March, 2014;

And whereas section 3 was amended by the Andhra Pradesh Reorganisation (Amendment) Act, 2014, with effect from the 29th May, 2014, to provide for additional areas to the successor State of Andhra Pradesh with the object to have flexibility in the identification of areas for implementing the rehabilitation and resettlement of the persons affected by the Polavaram Multi-purpose National Irrigation Project on the river Godavari as well as to ensure contiguity in the areas so transferred for administrative convenience;

And whereas the entire Mandals of Kukunoor, Velairpadu and Bhurgampadu but not including its revenue villages of Pinapaka, Morampalli Banzar, Bhurgampad, Nagineniprolu, Krishnasagar, Tekula, Sarapaka, Iravendi,

IndiaCode

Mothepattinagar, Uppusaka, Sompalli and Nakripeta under the Palvancha Revenue Division, and the Mandals of *Chintoor, Kunavaram, Vararamachandrapuram* and Bhadrachalam but not including the revenue village of Bhadrachalam under the Bhadrachalam Revenue Division were transferred to the successor State of Andhra Pradesh;

And whereas the Government of Andhra Pradesh issued a notification under section 3 of the Andhra Pradesh Districts (Formation) Act, 1974 and incorporated the transferred areas into the districts of West Godavari and East Godavari;

And whereas due to incorporation of the transferred areas into two districts, a difficulty has arisen in giving effect to the provisions of sub-section (1) of section 15 of the said Act in specifying the extent of the Assembly Constituencies of the areas so transferred from Khammam District of the State of Telangana to the State of Andhra Pradesh, as specified in the Second Schedule to the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 108 of the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 *(6 of 2014), the President hereby makes the following Order, namely:*—

1. *(1)* This Order may be called the Andhra Pradesh Reorganisation (Removal of Difficulties) Order, 2015.

(2) It shall come into force at once.

2. In the Second Schedule to the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014,—

(a) in paragraph 3, under the heading "SCHEDULE III", under the sub-heading "ANDHRA PRADESH", in "TABLE A" relating to "ASSEMBLY CONSTITUENCIES",—

(i) for serial number 53 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be substituted, namely:—

Sl. No. & Name	Extent of Assembly Constituency
1	2
"53. Rampachodavaram(ST)	Maredumilli, Devipatnam, Y. Ramavaram, Addateegala, Gangavaram, Rampachodavaram, Rajavommangi, Kunavaram, Chintoor, Vararamachandrapuram, and Nellipaka Mandals.";

(ii) for serial number 67 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be substituted, namely:—

"67. Polavaram (ST)	Polavaram, Buttayagudem, Jeelugumilli, Koyyalagudem, T. Narasapuram, Kukunoor and Velairpadu Mandals.";

(b) in paragraph 4, under the heading "SCHEDULE XXVII", under the sub-heading "TELANGANA", in "TABLE A" relating to "ASSEMBLY CONSTITUENCIES",—

(i) for serial number 110 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be substituted, namely:—

Sl. No. & Name	Extent of Assembly Constituency
1	2
"110. Pinapaka (ST)	Pinapaka, Manuguru, Gundala, Aswapuram Mandals and Bhurgumpadu Mandal excluding the Revenue Villages of Seetharamanagram, Sridhara Velair, Gumpanapalli, Ganapavaram, Ibrahimpet and Ravigudem (big).";

(ii) for serial number 118 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be substituted, namely:—

"118. Aswaraopeta (ST)	Mulikalapalle, Chandrugonda, Aswaraopeta and Dammapeta Mandals.";

(iii) for serial number 119 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be substituted, namely:—

"119. Bhadrachalam (ST)	Wazeed, Venkatapuram, Cherla, Dummugudem Mandals and Bhadrachalam Revenue Village.".

New Delhi, the 22nd April, 2015.

(PRANAB MUKHERJEE)
President

[F. No. 12012/06/2014-SR]

KUMAR ALOK, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2015

सा.का.नि. 312(अ).—आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) 2 जून, 2014 के प्रभाव से अर्थात् केंद्रीय सरकार द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार में अधिसूचना सं. का.आ. 655(अ) तारीख 4 मार्च, 2014 अधिसूचित नियत दिन से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के नए राज्यों को बनाए जाने का उपबंध करता है ;

और उक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन तेलंगाना राज्य की विधान परिषद् के लिए विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या 14 आबंटित की गई है और उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्यों की संख्या आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के बनाए जाने के समय 15 उपदर्शित की गई है ;

और विधान सभा के 15 सदस्यों द्वारा निर्वाचित प्रवर्ग में से 7 सदस्य 29 मार्च, 2015 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे ;

और तेलंगाना राज्य की विधान परिषद् के लिए विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्यों के संबंध में उक्त अधिनिमय की धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (i) के उपखंड (क) के उपबंधों को प्रभावी करने में कठिनाई उत्पन्न हो गई है ;

अतः, अब राष्ट्रपति, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) की धारा 108 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (कठिनाइयों को दूर करना) दूसरा आदेश, 2015 है ।

(2) ये तुरंत लागू होगा ।

2. चौथी अनुसूची में "तेलंगाना विधान परिषद्" शीर्ष के अधीन 29 मार्च, 2015 को "विधान परिषद् के सदस्यों द्वारा निर्वाचित" प्रवर्ग के अधीन सात सदस्यों की सेवानिवृत्ति पर अर्थात्, श्री के.आर. अमोस, श्री डी. श्रीनिवास, श्री एन. राजालिंगम, श्री पीर शब्बीर अहमद, श्री बी. लक्ष्मीनारायण, श्री वी. वेंकटेश्वरलु और श्री के. यादव रेड्डी, श्री के. आर. अमोस द्वारा रिक्त किया गया एक स्थान अस्तित्व में नहीं रहेगा और इसे

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) की धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (i) के उपखंड (क) के अनुसार भरा नहीं जाएगा और 6 शेष स्थानों को तेलंगाना विधान परिषद् के लिए विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचन द्वारा भरा जाएगा।

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2015

(प्रणब मुखर्जी)

राष्ट्रपति

[फा. सं. 12012/06/2014- एस आर]

कुमार आलोक, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd April, 2015

G.S.R. 312(E).—Whereas the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 (6 of 2014) (hereinafter referred to as the said Act) provides for the formation of the new States of Andhra Pradesh and Telangana with effect from 2nd June, 2014, i.e., the appointed day notified by the Central Government in the Ministry of Home Affairs, Government of India *vide* notification number S.O. 656 (E), dated the 4th March, 2014;

And whereas under sub-section (1) of section 23 of said Act, the number of seats to be filled up by election by the Members of Legislative Assembly for the Legislative Council of the State of Telangana has been allocated as 14 and in the Fourth Schedule to the said Act, the number of members elected by the Members of Legislative Assembly have been indicated as 15, at the time of formation of the States of Andhra Pradesh and Telangana;

And whereas seven members out of the 15 members in the category of elected by Members of Legislative Assembly have retired on the 29th March, 2015;

And whereas a difficulty has arisen in giving effect to the provisions of sub-clause (b) of clause (i) of sub-section (2) of section 23 of the said Act in relation to the members to be elected by the Members of the Legislative Assembly for the Legislative Council of the State of Telangana;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 108 of the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 (6 of 2014), the President hereby makes the following Order, namely:—

1. *(1)* This Order may be called the Andhra Pradesh Reorganisation (Removal of Difficulties) Second Order, 2015.

(2) It shall come into force at once.

2. In the Fourth Schedule, under the heading "Legislative Council of Telangana", on the retirement of the seven members, namely, Shri K.R. Amos, Shri D. Srinivas, Shri N. Rajalingam, Shri Peer Shabbir Ahmed, Shri B. Lakshmi Narayana, Shri B. Venkateswarlu and Shri K. Yadava Reddy under the category of "Elected by Members of Legislative Assembly", on 29th March, 2015, one seat vacated by Shri K. R. Amosshall cease to exist and shall not be filled up in accordance with sub-clause (b) of clause (i) of sub-section (2) of section 23 of the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 (6 of 2014); and rest of the six seats shall be filled by election by the Members of Legislative Assembly for the Legislative Council of Telangana.

New Delhi, the 22nd April, 2015.

(PRANAB MUKHERJEE)

President

[F. No. 12012/06/2014-SR]

KUMAR ALOK, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2015

सा.का.नि. 313(अ).—आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) 2 जून, 2014 के प्रभाव से अर्थात् केंद्रीय सरकार द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार में अधिसूचना सं. का.आ. 655(अ) तारीख 4 मार्च, 2014 अधिसूचित नियत दिन से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के नए राज्यों को बनाए जाने का उपबंध करता है ;

और उक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन तेलंगाना राज्य की विधान परिषद् में स्थानीय प्राधिकारियों से संबंधित सदस्यों की संख्या 14 आबंटित की गई है और उक्त अधिनियम की तीसरी अनुसूची में स्थानों की संख्या दस सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 11 उपदर्शित की गई है ;

और तेलंगाना राज्य की विधान परिषद् के लिए स्थानीय प्राधिकारियों के स्थानों को विनिर्दिष्ट करने के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (2) के उपबंधों को प्रभावी करने में कठिनाई उत्पन्न हो गई है ;

अतः, अब राष्ट्रपति, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) की धारा 108 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :--

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (कठिनाइयों को दूर करना) तीसरा आदेश, 2015 है।

(2) ये तुरंत लागू होगा।

2. निर्वाचन आयोग तीसरी अनुसूची के भाग 2 के अधीन सारणी में उपदर्शित "स्थानीय प्राधिकारी" निर्वाचन क्षेत्रों के अधीन 14 स्थानों का तेलगांना राज्य की विधान परिषद् के लिए आबंटित करने के लिए परिसीमन का कार्य हाथ में लेगा और ऐसे परिसीमन पर तेलगांना राज्य के लिए स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र तदनुसार संशोधित हो जाएंगे।

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2015

(प्रणब मुखर्जी)
राष्ट्रपति

[फा. सं. 12012/06/2014- एस आर]

कुमार आलोक, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd April, 2015

G.S.R. 313(E).—Whereas the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 (6 of 2014) (hereinafter referred to as the said Act) provides for the formation of the new States of Andhra Pradesh and Telangana with effect from 2nd June, 2014, i.e., the appointed day notified by the Central Government in the Ministry of Home Affairs, Government of India *vide* notification number S.O. 655(E), dated the 4th March, 2014;

And whereas under sub-section (1) of section 23 of the said Act, the number of seats pertaining to local authorities in the Legislative Council for the State of Telangana has been allocated as 14 and in the Third Schedule to the said Act, the number of seats have been indicated as 11 for ten Constituencies;

And whereas a difficulty has arisen in giving effect to the provisions of sub-section (2) of section 24 of the said Act in relation to specifying the seats for the local authorities' constituencies for the Legislative Council of State of Telangana;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 108 of the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 (6 of 2014), the President hereby makes the following Order, namely:—

1. *(1)* This Order may be called the Andhra Pradesh Reorganisation (Removal of Difficulties) Third Order, 2015.

(2) It shall come into force at once.

2. The Election Commission shall undertake delimitation exercise for the Legislative Council for the State of Telangana to allocate fourteen seats under the "Local Authorities' Constituencies" indicated in the TABLE under Part II of the Third Schedule, and on such delimitation, the Local Authorities' Constituencies for the State of Telangana stands amended accordingly.

New Delhi, the 22nd April, 2015.

(PRANAB MUKHERJEE)
President

[F. No. 12012/06/2014-SR]
KUMAR ALOK, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.